



संख्या:- /स0प्र0-3/124-2001(भाग-3)/76

दिनांक:- 29/08/2017

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की यथा संशोधित विनियमावली जून, 2016 के क्रम में परिषद की अनावासीय/आवासीय सम्पत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। नीलामी से निस्तारित सम्पत्तियों की नीलामी प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर परिषद द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा नीलामी में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक क्रेताओं में से मात्र उच्च बोलीदाता तथा द्वितीय उच्च बिड/बोलीदाताओं की ही प्राप्त बोलियाँ बिड रजिस्टर में दर्ज की जाती रही है। उक्त नीलामी प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए यह आदेश दिये जाते हैं कि "भविष्य में ऐसी अनावासीय/आवासीय सम्पत्तियों, जिनका निस्तारण नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जाना है, में प्रतिभाग करने वाले समस्त इच्छुक क्रेताओं की बिड/बोली बिड रजिस्टर में निर्णायक मण्डल की उपस्थिति में दर्ज की जाय तथा प्रत्येक बोली पर नीलामी में बोली बोलने वाले इच्छुक क्रेता के हस्ताक्षर कराये जायें।"

नीलामी में प्रतिभाग करने वाले समस्त इच्छुक बोलीदाताओं की प्राप्त बोलियों पर शत-प्रतिशत अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कराने का दायित्व सम्बन्धित जोनल आयुक्त/अधीक्षण अभियन्ता का होगा। उक्त प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(धीरज साहू)

आवास आयुक्त

सं0:- 1129 /उक्त दिनांक 29/8/17

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता/वित्त नियन्त्रक/मुख्य वास्तुविद नियोजक/मुख्य विधि परामर्शी, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय, लखनऊ।
2. समस्त जोनल आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद.....
3. समस्त अधीक्षण.....वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,.....
4. समस्त उप आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड.....उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद.....
6. समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद.....

(महेन्द्र साहू) 29/8/17

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव